अध्याय-X : वित्त मंत्रालय

10.1 झारखंड में जनजातीय क्षेत्र भत्ता का अनियमित भुगतान

झारखण्ड में केन्द्र सरकार के कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ता (टीएए) के रूप में ₹4.38 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अनुबंधित[1] किया था कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता (टीएए) उन राज्यों में स्वीकार्य नहीं था जहाँ इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। चूंकि टीएए झारखण्ड में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो उसी राज्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी टीएए के हकदार नहीं है। लेखापरीक्षा जांच में उजागर हुआ कि झारखण्ड में स्थित केन्द्र सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों के कर्मचारियों ने ₹4.38 करोड़ टीएए राशि के रूप में आहरित की थी:-

क्रम सं.	मंत्रालय	कार्यालय	भुगतान किया गया टीएए (₹ लाख में)
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सीजीएचएस, रांची	4.99
		केन्द्रीय मानसिक रोग संस्थान, रांची	105.61
2.	गृह मंत्रालय	सीबीआई, रांची	12.25
		सीटीसी (टी एण्ड आई टी)) सीआरपीएफ, रांची	47.64
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	इग्नू, रांची	4.03
		जेएनवी[2] रांची	12.72
		जेएनवी, जामतारा	4.08
		जेएनवी, सिमडेगा	3.66

[1] व्यय विभाग ओएम सं. 17(I)/98-ई-II(बी) दिनांक 17 जुलाई 1998

[2] जवाहर नवोदय विद्यालय

		जेएनवी, लोहरडगा	10.58
		जेएनवी, गुमला	8.96
		जेएनवी, लतेहर	7.85
		जेएनवी, डुमका	9.97
		जेएनवी, पाकुर	4.39
		जेएनवी-2, पाकुर	1. 38
		जेएनवी, सरायकेला	9.34
		जेएनवी, साहिबगंज	8.68
		जेएनवी, पूर्व सिंहभूम	6.13
4.		जेएनवी, पश्चिम सिंह भूम	6.20
		एनआईएफएफटी, रांची	12.03
		एनआईटी, जमशेदपुर	86. 97
5.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	ऑल इंडिया रेडियो, रांची	27.56
		ऑल इंडिया रेडियों, जमशेदपुर	16.55
		दूरदर्शन केन्द्र, रांची	4.96
6.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	ईएसआईसी, अस्पताल जमशेदपुर	14.39
7.	शहरी विकास मंत्रालय	सीपीडब्ल्यू डी, परियोजना खण्ड, रांची	0.69
		सीपीडब्ल्यूडी, हीनू रांची	6.01
		कुल	**437.62**

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2016) और तुरंत उचित कार्रवाई करने हेतु सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को दिशा-निर्देश[3] जारी किए।

[3] व्यय विभाग ओएम सं. 17(I)/2008-ई-II(बी) दिनांक 21 दिसम्बर 2016